रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1966 (आषाढ़ 25, 1888)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 1966 (ASADHA 25, 1888)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 4 जुलाई 1966 तक प्रकाशित किये गये थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 4th July 1966 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
114	No. 89-ITC/(PN)/66 dated 27th June 1966	Ministry of Commerce.	Grant of entitled licences against exports effected up to 5-6-66 under the erstwhile Export Promotion Scheme.
	No. 90-ITC(PN)/66 dated 28th June 1966.	Do.	Devaluation of rupee—consequential increase in the rupee value of import licences.
115	No. 91-ITC (PN)/66 dated 28th June 1966.	Do.	Import from the U.S.A. under U.S. AID NON PROJECT LOAN 1966.
	No. 92-ITC (PN)/66 dated 28th June 1966.	Do.	Grant of licences to Private Sector Industries for import of Goods against various foreign credits—payment after devaluation of rupee.
	No. 93-ITC (PN)/66 dated 28th June 1966.	Do.	Import of raw materials, components and spare parts by scheduled industries borne on the books of the Directorate General of Technical Development for the period April 1966—March 1967.
116	No. 94-ITC (PN)/66 dated 29th June 1966.	Do.	Grants of entitlement licence against exports effected or payments received up to 5th June 1966 under the erstwhile E.P. Schemes.
117	No 95-ITC (PN)/66 dated 1st July 1966.	Do.	Grant of entitlement licences against exports effected or advance payments received up to 5th June 1966 under the erstwhile E.P. Scheme.
118	No. 96-ITC (PN)/66 dated 4th July 1966.	Do.	Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1966—Issue of.
	No. 97-ITC (PN)/66 dated 4th July 1966.	Do.	Goods impounded by Pakistan—validation of Licences for clearance.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाएं ..	517
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	623
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ..	41
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं ..	407
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट ..	—

	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1219
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii) (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2009
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश ..	183
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	475
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	267
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	79
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	465
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	147
पूरक सं० 29—	
9 जुलाई 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	999
18 जून 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	1011

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	517
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	623
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	41
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	407
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1219
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2009
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	183
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	475
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	267
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	79
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	465
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	147
SUPPLEMENT NO. 29—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 9th July 1966	999
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 18th June 1966	1011

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1966

स० 46-प्रेज०/66—राष्ट्रपति, प्रादेशिक सेना के निम्नांकित आयुक्त अधिकारी को सराहनीय सेवा के लिये "प्रादेशिक सेना अलंकरण" प्रदान करते हैं :—

मेजर मदन लाल मेनी (टी० ए०-40228), आर्टिलरी ।

वाई० डी० गण्डेविया, राष्ट्रपति के सचिव

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 1966

स० 13/1/66-आई० ओ० सी०— दिनांक 9 जून 1966 के संकल्प संख्या 13/1/66-आई० ओ० सी० के० पैरा 4 में तरमीम करते हुए भारत सरकार ने फैसला किया है कि आज तक देश में पैट्रोल तथा डीजल के फुटकर पम्पों की वृद्धि का अध्ययन करने और भविष्य में वृद्धि के नियमन करने की आवश्यकता एवं तरीकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

1. श्री आर० आर० भोराका, लोक सभा सदस्य	चेयरमैन
2. श्री आई० के० गुजराल, राज्य-सभा सदस्य	सदस्य
3. डा० वी० जी० भाटिया, निदेशक (परिवहन गवेषणा) परिवहन, पोत तथा पर्यटन विभाग, परिवहन स्कंध, नई दिल्ली	सदस्य
4. श्री एस० डी० भाम्बरी, जेनरल सेल्ज मैनेजर, इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (मार्किटिंग प्रभाग)	सदस्य
5. श्री आर० दयाल, मैसर्ज बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी ऑफ इण्डिया लि०, बम्बई	सदस्य
6. श्री पी० वी० मैनन, मैसर्ज एस्सो स्टैण्डर्ड ईस्टर्न इंक, बम्बई	सदस्य
7. श्री वी० लाल, मैसर्ज कालटेक्स (इण्डिया) लि०, बम्बई	सदस्य
8. श्री ए० आर० दामोदरन, प्रधान, अखिल भारतीय पैट्रोलियम ट्रेडर्ज की फैडरेशन, कलकत्ता	सदस्य
9. श्री एम० कुरीयन, वैज्ञानिक, पैट्रोलियम की इण्डियन इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली	सदस्य
10. श्री कुन्दन लाल, प्रधान सचिव, अखिल भारतीय माटर संघों की काग्रेस, नई दिल्ली	सदस्य
11. श्री ए० पी० वर्मा, उप-सचिव, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

पी० पी० गुप्ता, अवर सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

(कृषि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 1966

सं० 9-2/62-एफ०डी०—भारत सरकार ने, लकड़ी के परिमेय विनिधान के लिए केन्द्रीय मण्डल जोकि उनके संकल्प संख्या 3-29/59-एफ०डी०, दिनांक 9 फरवरी 1960 द्वारा स्थापित किया गया था, के समापन का निर्णय किया है ।

सं० 3-4/66 एफ०डी०—कुछ केन्द्रीय शासित प्रदेशों की स्थिति में संवैधानिक परिवर्तन होने और नागालैण्ड और गोवा के नये राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों के निर्माण के फलस्वरूप भारत सरकार ने भूतपूर्व खाद्य और कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के पत्र संख्या 3/47/58-एफ०डी०, दिनांक 12 नवम्बर 1958 में दिये गये आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय वन-मण्डल, की स्थायी समिति को निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निश्चय किया है :—

1. केन्द्रीय कृषि उप-मंत्री	**प्रधान**
2–6. एक राज्य मंत्री (वन विभाग) जो नीचे दिये गये प्रत्येक 5 क्षेत्रों में से (बारी-बारी से 1 वर्ष के लिए) होगा ।	**सदस्य**

(1) **उत्तरी क्षेत्र** जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान (स्थायी समिति की पूर्व-बैठकों के लिये दिल्ली भी इस क्षेत्र में शामिल होगा) ।

(2) **मध्य क्षेत्र** : उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ।

(3) **पूर्वी क्षेत्र** : बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, नागालैण्ड, मनीपुर और त्रिपुरा (स्थायी समिति की पूर्व-बैठकों के लिये उपूसी भी इस क्षेत्र में शामिल होगा) ।

(4) **दक्षिणी क्षेत्र** : आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल और पाण्डीचेरी (स्थायी समिति की पूर्व-बैठकों के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इस क्षेत्र में शामिल होगा) ।

(5) **पश्चिमी क्षेत्र** : मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा ।

7. सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग	सदस्य
8. वन महा निरीक्षक	सदस्य
9. सचिव, केन्द्रीय वन-मण्डल	सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एस० जे० मजुमदार, अतिरिक्त सचिव

परिवहन और विमानन मंत्रालय

(परिवहन, नौवहन तथा पर्यटन विभाग)

(परिवहन पक्ष)

संस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक जून 1966

सं० 28-एम० टी० (1)/65—केन्द्रीय सरकार परिवहन मंत्रालय के संस्ताव संख्या 28-एम० टी० (1)/65, दिनांक 22 मई 1965 में निम्न संशोधन करती है:—

(1) 'राष्ट्रपति' के नीचे आनेवाले शब्द 'परिवहन मंत्री' के स्थान पर 'परिवहन और विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(2) उपाध्यक्ष के नीचे आनेवाले शब्द 'नौवहन के प्रवर उपमहानिदेशक' के स्थान पर नौवहन के अनतिरिक्त महानिदेशक' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(3) क्रमांक 14 के सामने आने वाले नाम 'श्री गोविन्द एच० सेठी' के स्थान पर 'श्री सी० पी० श्रीवास्तव' का नाम प्रतिस्थापित किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रति, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री सचिवालय, भारत के नौवहन निगम और नौवहन के महानिदेशालय को प्रेषित कर दी जाय।

आदेश दिया जाता है कि संस्ताव को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

नागेन्द्र सिंह, सचिव

(पत्तन)

संस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1966

सं० 9-पी० जी० (18)/66—भारत सरकार को 1964-65 की कलकत्ता पत्तन की प्रशासनिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिये जाते हैं :—

1. **वित्तीय स्थिति** : विचाराधीन वर्ष में पोर्ट कमिश्नर की राजस्व प्राप्तियां 1839.43 लाख रुपये की रही। इसके विपरीत पिछले वर्ष में यह संख्या 1771.83 लाख रुपये थी। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण यातायात में लगभग 1.3 प्रतिशत की वृद्धि का होना था।

इस वर्ष 1834.26 लाख रुपये का व्यय हुआ। पिछले वर्ष यह संख्या 1719.09 लाख रुपये थी। विचाराधीन वर्ष में राजस्व खाते में 5.17 लाख रुपये का अधिशेष रहा। व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण सिब्बन्दी, गोदाम, देखरेख और मरम्मत, मजदूरी, कारखाने, बिजली की रोशनी और शक्ति में अतिरिक्त व्यय का होना था।

विचाराधीन वर्ष के अन्त में राजस्व शेष खाते में विनियोजन के लिये उपलब्ध राशि में वर्ष का अधिशेष और पिछले वर्ष के अग्रेनीत शेष की संख्या 5,34,576 रुपये थी। इस राशि में से 5 लाख रुपये की राशि राजस्व से अंशदान के रूप में मूलधन को विनियोजित की गई थी और बाकी 34,576 रुपये की राशि अगले वित्तीय वर्ष के लिये आगे ले जाई गई। योजना परियोजनाओं के खर्च के लिए लिये जाने वाले ऋण में कमी करने के लिये वर्ष में राजस्व आरक्षित निधि से 50 लाख रुपये का अंशदान मूलधन में दिया गया।

इसके अतिरिक्त पूंजीगत निर्माण कार्यों के खर्च को पूरा करने के लिये कमिश्नरों ने इस वर्ष सरकार से 115 लाख रुपये और विश्व बैंक से विदेशी मुद्रा में 317 लाख रुपये उधार लिये और 5 प्रतिशत पर 100 लाख रुपये का 12-वर्षीय ऋण चालू किया।

31 मार्च 1965 को विभिन्न राजस्व आरक्षित निधियों में सम्पूर्ण शेष 825.72 लाख रुपया था।

2. **यातायात** : विचाराधीन वर्ष में पत्तन से होने वाले समस्त आयातों और निर्यातों की संख्या क्रमशः 6.083 मिलियन टन और 4.980 मिलियन टन थी। 1963-64 में ये संख्यायें क्रमश: 6.028 मिलियन टन और 4.91 मिलियन टन थीं।

1963-64 तथा 1964-65 में कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियों के आयात और निर्यात का टन भार नीचे दिया जाता है :—

सामग्रियां	1963–64	1964–65 (मिलियन टन)
	आयात	
खाद्यान्न . . .	1.553	1.696
नमक . . .	0 396	0.328
	निर्यात	
कोयला . . .	1.974	1.783
गनी (बोरे) . . .	1.104	1 207
चाय . . .	0.163	0 180
कच्ची धातु . . .	0.790	0.911

3. **पत्तन रलवे** : 1964-65 में रेल से प्राप्त आमदनी 253.33 लाख रुपये रही। पिछले वर्ष यह संख्या 234.36 लाख रुपये थी। 1964-65 में आमदनी में वृद्धि का मुख्य कारण 15 जुलाई 1963 से विदेशी रेलवे यातायात पर अनुपूरक प्रभार में वृद्धि का होना था।

4. **यात्री यातायात** : इस वर्ष पत्तन में जहाज पर आरोहण करने वाले यात्रियों की संख्या 6460 और उतरने वाले यात्रियों की संख्या 2734 थी। 1963-64 में संख्यायें क्रमश: 9007 और 4414 थी।

5. **उठाईगीरी** : रेल द्वारा गोदी में जाने वाली चाय की उठाईगीरी में अकस्मात वृद्धि हो गई। सक्रिय निरोधात्मक उपाय काम में लाये गये हैं और स्थिति नियंत्रण में है।

6. **नौवहन** . विचाराधीन वर्ष में पत्तन में आये जहाजों की संख्या 1,807 थी। पिछले वर्ष यह संख्या 1,828 थी। पत्तन में आने वाला सब से अधिक गहरे डुबाव का जहाज वा० पो० "जियो० एम० लाग" था। इसका आगे का डुबाव 28 फुट 8 इंच और पीछे का 28 फुट 4 इंच था। पत्तन से जाने वाला सब से अधिक गहरे डुबाव का जहाज वा० पो० "रत्ना चन्द्रलेखा" था जिसका आगे का डुबाव 27 फुट 8 इंच और पीछे का 27 फुट 9 इंच था।

पिछले वर्ष जितने टन भार की धरा उठाई गई थी उसकी अपेक्षा 1964-65 में जहाजों की संख्या में कमी का होना वर्ष में डुबाव में सुधार का होना सूचित करता है जिसके कारण जहाज अधिक सामान ले जा सके। समूचे वर्ष नौवहन योग्य नदी मार्ग से पत्तन तक दाढ़ों की दशा सामान्यतया अच्छी रही।

1964-65 में नौवहन योग्य जल मार्ग बर्थों, जलपाश प्रवेश मार्गों और गोदी क्षेत्रों के निकर्षण सहित निकर्षण पर 170 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय हुआ। पिछले वर्ष यह संख्या 146.1 लाख रुपये थी।

7. **हल्दिया लंगर स्थान** : लगातार छठे वर्ष नवम्बर 1964 से फरवरी 1965 तक की अच्छी ऋतु में हल्दिया लंगर स्थान पर खाद्यान्न आयात करने वाले जहाज रुके। 1964-65 में सब मिला कर 12 खाद्यान्न लाने वाले जहाज लंगर स्थान पर रुके। लंगर स्थान का उपयोग करने वाला सब से गहरे डुबाव का जहाज वा० पो० "अरामिस" था जिसका आगे का डुबाव 30 फुट 5 इंच और पीछे का 30 फुट 7 इंच था। लंगर स्थान पर 57,613 टन का खाद्यान्न उतारा गया।

8. **नदी माडल प्रयोग** : आदेश दिये गये तकनीकी उपस्करों की समस्त मदें प्राप्त हो गयी हैं और इन औजारों तथा अनुसन्धान पोत "अनुसन्धानी" की सहायता से व्यवस्थित आधार पर आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

इस वर्ष केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान स्टेशन पूना में नीनन, नूरपुर, ईस्टर्न कट और मोयापुर बारो के सुधार के लिये हुगली माडल पर किये गये अध्ययन पूरे हो गय और हुगली नदी के प्रस्तावित घाटो से संबद्ध प्रयोगों में पर्याप्त प्रगति हुई है । हल्दिया की नई तेल जेटी का संरेखण निश्चय करने के लिय इस वर्ष प्रयोगो को सम्पूर्ण किया गया । इसके अतिरिक्त इस वर्ष निम्न प्रयोगो को किया गया : —

(1) ईस्चूरियन निकर्षक 'मोहाना' की सहायता से 'आकलेण्ड बार निकर्षण के लिये पाटने की भूमि का निर्वाचन ।

(2) ऊपरी टाइडल रीच का सुधार;

(3) मुनीखाली से फिशरमैन पोइन्ट तक तट की रक्षा के लिये निर्माण कार्य का प्रकार ।

9. **श्रम** : इस वर्ष पत्तन में श्रम स्थिति सन्तोषजनक रही ।

भारत के बड़े पत्तनो के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिय मजदूरी ढांचा की जांच करने के लिये सरकार ने एक मजदूरी मंडल की स्थापना की है । मडल ने प्रत्येक योग्य कर्मचारी के लिये 7.80 रुपये मासिक की अन्तरिम सहायता घोषित कर दी थी । यह 1 फरवरी 1965 से प्रभावी हुई ।

विशेष प्रकार के रेल के डिब्बो की सप्लाई प्राप्त करने में और आयात कर्ताओं तथा उनके ऐजेन्टों द्वारा डाकुमेन्टो के पेश करने में देरी के कारण भारी लिफ्टयार्डों में सामान के जमा होने के अतिरिक्त पत्तन में किसी भी समय सामान की भीड़-भाड़ नहीं रही । पत्तन के माल गोदामो का पूरा उपयोग किया गया ।

10 **हुगली कनहारो** · 1964-65 में कनहारी से 59.74 लाख रुपये की आमदनी और 49.72 लाख रुपये का व्यय हुआ और 10 02 लाख रुपये का अधिशेष रहा ।

11 **पत्तन विकास** : वर्ष में जिन पूंजीगतनिर्माण कार्यों में प्रगति हो रही थी उन पर 642.40 लाख रुपये व्यय किये गये ।

1964-65 में विभिन्न योजना स्कीमो पर पर्याप्त प्रगति की गई । इस वर्ष पत्तनयान अर्थात् दो 1400 टन के डीजल हापर बारजे और दो पाइलट पोत, एक 1100 टन का स्टीम हापर बारजा, और दो सिंगल स्क्रू सर्वेलाचों का निर्माण पूरा किया गया । पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सूखी गोदी सुविधाओ में सुधार के लिये किये गये कार्यों में पर्याप्त प्रगति हुई ।

12 **विभाग** : विश्व बैंक की सहायता से स्थापित नये द्रवचालित अध्ययन विभाग ने इस वर्ष कई जांच पड़ताले की ।

13 **अभिस्वीकृति** . कठिनाइयों के बावजूद पोर्ट कमिश्नरो ने एक और वर्ष में उपयोगी कार्य किया और सरकार विचाराधीन वर्ष में पत्तन कमिश्नरो के कार्य की सराहना करती है ।

के० सी० मादप्पा, संयुक्त सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 1966

सं० वि० का० 5-502(10)/65—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या वि० का० 5-502 (10)/65-दिनांक 5 अप्रैल 1966 के तात्पर्य में, तकनीकी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि को 31 दिसम्बर, 1966 तक और बढ़ा दिया जाता है । यह समिति बरक बांध परियोजना पर अनुसंधान की वर्तमान स्थिति का पुनरवलोकन करने के लिये तथा यह विचार करने के लिये बनाई गई थी कि आया कि बांध बनाया जाए या कि वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को असम की राज्य सरकार, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और योजना आयोग को उनकी जानकारी के लिये भेजा जाये ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये तथा असम राज्य सरकार से प्रार्थना की जाये कि वे इस संकल्प को राज्य के राजपत्र में साधारण जानकारी हेतु प्रकाशित कर दें ।

पी० आर० आहूजा, संयुक्त सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 1966

सं० 19(1)/66-ई० एल० 2—अन्तर्राज्यीय बिजली विक्रय से संबंधित सिद्धान्तों तथा मार्गदर्शिकाओं के सुझाने के लिये इस मंत्रालय के संकल्प सं० 19(1)/66–ई० एल० 2, दिनांक 10-5-66 के अन्तर्गत नियुक्त समिति की कार्यावधि 31 अगस्त 1966 तक एतद्द्वारा बढ़ा दी गई है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को संबद्ध सदस्यों, राज्य सरकारो, राज्य बिजली बोर्डों, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, भारत के राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग व भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

के० पी० मथ्रानी, सचिव

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1966

विषय :—भारत सरकार मुद्रणालय की प्रवाचक (रीडिंग) शाखा में पदों के श्रेणीकरण के लिये समिति का बनाया जाना ।

सं० 15/11/66–पी० 1—भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के श्रेणीकरण के लिये सरकार द्वारा नवम्बर, 1963 में स्थापित की गयी समिति ने मुद्रणालयों की प्रवाचक (रीडिंग) शाखाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों को छोड़कर औद्योगिक कर्मचारियों की अन्य अनेक श्रेणियों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं । यह चूक इस तथ्य के कारण हुई थी कि प्रवाचक (रीडिंग) शाखाओं के कुछ कर्मचारियों के द्वारा दायर किया गया रिट पिटीशन न्यायालय में विचाराधीन था । पिटीशन के रद्द कर दिये जाने पर अब यह निर्णय किया गया है कि प्रवाचक (रीडिंग) शाखाओं की श्रेणियों के संबंध में जांच करने तथा सिफारिश करने के लिये

एक और समिति की स्थापना की जाये। यह समिति "भारत सरकार मुद्रणालय में प्रवाचक (रीडिंग) शाखाओं के पदों के श्रेणीकरण की समिति" कहलायेगी।

2. समिति में निम्नांकित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

श्री पी० के० सेन,

उप-सचिव, निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय।

सदस्य

1. श्री मनोहर केशव,
   उप-सचिव, निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय।
2. श्री आर० रामास्वामी, परियोजना अधिकारी, मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखनसामग्री का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. श्री जी० एस० भसीन,
   अवर सचिव, वित्त मंत्रालय।

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय के विशेष कार्य-अधिकारी (श्रम), श्री एन० सी० सान्याल समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

3. **विचारार्थ विषय** :—

समिति के विचारार्थ विषय होंगे :—

(i) मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखनसामग्री के अंतर्गत भारत सरकार के मुद्रणालयों की प्रवाचक (रीडिंग) शाखाओं में पदों का पुनरीक्षण तथा "अ-कुशल", "अर्ध-कुशल", "कुशल", "अत्यधिक कुशल" तथा "पर्यवेक्षकीय" के रूप में वर्गीकरण।

(ii) इस प्रकार के पुनरीक्षण के लिये जहां आवश्यक हो वहां सेवा शर्तों, वेतन मानों, कार्य के घंटों तथा प्रत्येक पद के लिये उल्लिखित भर्ती के क्षेत्र/पदोन्नति की जांच तथा उनमें तरमीम का सुझाव।

4. समिति अपने गठन की तारीख से चार महीनों की अवधि में अपना कार्य समाप्त कर देगी तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

5. समिति अपने कार्य करने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियात्मक मामलों का निर्धारण करने में स्वतंत्र होगी।

मुद्रण तथा लेखनसामग्री के मुख्य नियंत्रक तथा भारत सरकार मुद्रणालयों के प्रबंधक इस समिति के सदस्यों को अपना पूरा सहयोग देंगे तथा उनके द्वारा मांगी गयी सभी सूचनाओं को देने तथा सरकारी अभिलेखों एवं प्रलेखों को उपलब्ध कराने में सहायता देंगे।

आदेश

(1) आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेज दिया जाये।

(2) यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

प्रेम कृष्ण, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th July 1966

No. 46-*Pres.*/66.—The President is pleased to confer the "TERRITORIAL ARMY DECORATION" for meritorious service on the undermentioned commissioned officer of the Territorial Army :—

Major MADAN LAL MYNE (TA-40228), Artillery.

Y. D. GUNDEVIA, Secy to the President

MINISTRY OF LAW

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi-1, *the* 1*st July* 1966

No. 51/1/65-*CL.II.*—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the under-mentioned officers of the Government of India, in the Ministry of Law (Department of Company Affairs) for the purposes of said section 209 :—

1. Shri B. D. Gupta,
   Assistant Inspecting Officer, Bombay.
2. Shri B. Bhavani Sankar,
   Assistant Inspecting Officer, New Delhi.

C. R. MEHTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

AMENDMENT

New Delhi, the 28*th June* 1966

No. 35(2)-*Com*(*Genl*)(*FMC*)/65.—Para 2 of the Government of India, Ministry of Commerce Resolution No. 35(2)-Com(Genl)(FMC)/65, dated the 16th February 1966, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India as modified by amendment No. 35(2)-Com(Genl)(FMC)/65, dated the 25th April 1966, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India shall be *substituted* as follows :—

2. Shri D. R. Pendse, Deputy Director, Forward Markets Commission, Bombay, will be the Secretary.

ORDER

ORDERED that the amendment be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

M. L. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 1*st July* 1966

No. 13/1/66-*IOC.*—In modification of para 4 of Resolution No. 13/1/66-IOC dated the 9th June 1966, the Government of India has decided that the composition of the Committee to study the growth of retail outlets in the country in the past and to report on the desirability and methods of regulating future growth will be as follows :—

Chairman

1. Shri R. R. Morarka, Member, Lok Sabha.

Members

2. Shri I. K. Gujral, Member, Rajya Sabha.
3. Dr. V. G. Bhatia, Director (Transport Research) Department of Transport, Shipping & Tourism, Transport Wing, New Delhi.
4. Shri S. D. Bhambri, General Sales Manager, Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division), Bombay.
5. Shri R. Dayal, M/s. Burmah Shell Oil Storage & Distributing Co. of India Ltd., Bombay.
6. Shri P. V. Menon, M/s. Esso Standard Eastern Inc., Bombay.
7. Shri B. Lal, M/s Caltex (India) Ltd., Bombay.
8. Shri A. R. Damodaran, President, Federation of All India Petroleum Traders, Calcutta.
9. Shri M. Kurien, Scientist, Indian Institute of Petroleum, New Delhi.
10. Shri Kundan Lal, Secretary General, All India Motor Unions' Congress, New Delhi.

Member-Secretary

11. Shri A. P. Verma, Deputy Secretary, Ministry of Petroleum & Chemicals, New Delhi.

P. P. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

RESOLUTIONS

New Delhi, the 4*th June* 1966

F. No. 9-2/62-*FD.*—The Government of India have decided to wind up the Central Board for Rational Allocation of Timber set up *vide* their Resolution No. 3-29/59-FD, dated the 9th February 1960, with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the concerned Ministries of the Government of India, Planning Commission, State Governments and Union Territories Administrations, President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 3-4/66-*FD*.—In view of the constitutional changes in the status of some of the Union Territories and the creation of new States/Union Territories of Nagaland and Goa, Government of India in partial modification of earlier orders contained in the then Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture) letter No. 3-47/58-FD, dated the 12th November 1958, have decided to re-constitute the Standing Committee of the Central Board of Forestry, as follows :—

Chairman

1. Union Deputy Minister for Agriculture.

Members

2-6. One State Minister for Forests from each of the five zones constituted as under (to serve on the Committee for one year in rotation) :

(i) *Northern Zone* : Jammu & Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh and Rajasthan (Delhi will also be grouped with this zone for Pre-standing Committee meetings).

(ii) *Central Zone* : Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

(iii) *Eastern Zone* : Bihar, Orissa, West Bengal Assam, Nagaland, Manipur and Tripura (NEFA will also be grouped with this zone for Pre-standing Committee meetings).

(iv) *Southern Zone* : Andhra Pradesh, Madras, Kerala and Pondicherry (Andamans & Nicobar Islands will also be grouped with this zone for Pre-standing Committee meetings).

(v) *Western Zone* : Mysore, Maharashtra, Gujarat and Goa.

7. Secretary to the Government of India, Department of Agriculture.

8. Inspector General of Forests.

Secretary

9. Secretary, Central Board of Forestry.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. J. MAJUMDAR, Additional Secy.

(Department of Co-operation)

New Delhi, the 5th July 1966

No. 1-25/65-*CC*.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated the 27th May 1966, the following banks are added to the list of banks mentioned in sub-para 2 of paragraph 2 of the notification, with whom the Central Government will be prepared to enter into agreements for the purposes of guaranteeing the loans and advances made by them to the wholesale cooperative stores and State and National federations of consumer cooperatives :—

(1) Union Bank Ltd.

(2) Syndicate Bank Ltd.

(3) Indian Bank Ltd.

(4) Chartered Bank Ltd.

No. 1-25/65-*CC*.—In the schedule annexed to the Ministry of FACD&C's notification No. 1-25/65-CC dated the 27th May 1966, the name of the Delhi Consumers' Cooperation Wholesale Stores Ltd. etc. is numbered as 1 under the heading "Delhi" and the following added :

2. The Cooperative Store Ltd.,
C/o, Indian Cooperative Union,
AIFACS Building, Rafi Marg,
New Delhi.

V. V. NATHAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 5th July 1966

No. 14/3/65-*C5*.—In continuation of the Ministry of Education Notification No. 14/3/65-C5, dated the 12th May 1966, the following persons are also appointed as Corresponding Members of the Indian Historical Records Commission for a period of 5 years with effect from the 4th April 1966, under para 3.I.B. of the Constitution of the Commission :—

1. Prof. K. N. V. Sastri,
M.A., Ph.D. (Lond.), F.R.Hist.S.,
10, West Park Road,
Maleswaram,
Bangalore-3.

2. Prof. R. P. Patwardhan,
M.A. (Oxon), I.E.S. (Retired),
800, Bhandarkar Institute Road,
Poona-4.

3. Prof. S. C. Sarkar,
M.A. (Oxon), I.E.S. (Retired),
239-A, Netaji Subhash Chandra Bose Road,
Calcutta-47.

2. From the Ministry of Education Notification No. 14/3/65-C5, dated the 11th April 1966, item No. 10 under Part 'B-Corresponding Members', relating to the appointment of Dr. R. C. Majumdar, M.A., Ph.D., 4, Bepin Pal Road, Calcutta-26, as a Corresponding Member of the Indian Historical Records Commission, may be *deleted*.

A. S. TALWAR, Under Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Department of Transport, Shipping and Tourism)

(Transport Wing)

PORTS

RESOLUTION

New Delhi, the 7th July 1966

No. 9-*PG*(18)/66.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Calcutta for the year 1964-65. The following are the important features of the report :—

1. *Financial Position*

The Port Commissioners' revenue receipts for the year under review amounted to Rs. 1839.43 lakhs as against Rs. 1771.83 lakhs in the previous year. The increase in revenue receipts was mainly due to an increase of about 1.3% in the total traffic handled.

The expenditure during the year amounted to Rs. 1834.26 lakhs as against Rs. 1719.09 lakhs in the previous year. The year under review ended with a surplus of Rs. 5.17 lakhs in the revenue account. The increase in expenditure was mainly due to additional expenditure on establishment, stores, maintenance and repairs, labour charges, workshop, electric light and power.

The amount available for appropriation in the Revenue Balance Account at the end of the year under review, composed of the year's surplus and the balance brought forward from the previous year, was Rs. 5,34,576. Out of this amount, a sum of Rs. 5 lakhs was appropriated to Capital as contribution from revenue and the balance of Rs. 34,576 was carried forward to the next financial year. A contribution of Rs. 50 lakhs was made to Capital out of the Revenue Reserve Fund during the year to reduce borrowings for financing Plan projects.

In addition, for financing capital works, the Commissioners borrowed Rs. 115 lakhs during the year from Government and Rs. 317 lakhs in foreign exchange from the World Bank and also floated a 5 per cent 12-year loan of Rs. 100 lakhs.

The total balances in the various Revenue Reserve Funds as on the 31st March 1965, amounted to Rs. 825.72 lakhs.

2. *Traffic*

The total imports and exports, which passed through the port during the year under review, was 6.083 million tonnes and 4.980 million tonnes, respectively, as against the corresponding import and export figures of 6.028 million tonnes and 4.91 million tonnes in the year 1963-64.

The tonnages of imports and exports of some of the important commodities handled during the year 1963-64 and 1964-65 are given below :—

(Million tonnes)

Commodities	1963-64	1964-65
IMPORTS		
Foodgrains	1.553	1.696
Salt	0.396	0.328
EXPORTS		
Coal	1.974	1.783
Gunnies	1.104	1.207*
Tea	0.168	0.180
Ores	0.790	0.911

3. *Port Railway*

The income derived from the Railway during the year 1964-65 amounted to Rs. 253.33 lakhs as against Rs. 234.36 lakhs in the previous year. The increased earning during 1964-65 was mainly due to the enhancement of the supplementary charge on foreign Railway traffic with effect from the 15th July 1963.

4. *Passenger Traffic*

The number of passengers who embarked from the Port during the year was 6,460. The number of passengers who disembarked was 273. The corresponding figures were 9,007 and 4,414 during 1963-64.

5. *Pilferages*

There was a sudden increase in pilferage of tea moving to the Docks by rail. Effective preventive measures have been instituted and the situation is under control.

6. *Shipping*

The number of vessels which entered the port during the year under review was 1,807 as against 1,828 in the previous year. The ship with the deepest draft to enter the port was the s.s. "Geo. S. Long" drawing 28'-8" forward and 28'-4" aft. and the deepest draft ship to leave the Port was the s.s. "Ratna Chandralakha" drawing 27'-8" forward and 27'-9" aft.

The decrease in the number of vessels during the year 1964-65 as compared with the tonnage handled in the previous year is an indication of the improvement in drafts during the year which enabled ships to carry more cargo. The condition of the bars in the navigable river route to the port was generally good throughout the year.

The total expenditure during 1964-65 on dredging, including dredging of the navigable channel, berths, lock entrances and dock basin, amounted to Rs. 170 lakhs as against Rs. 146.1 lakhs during the previous year.

7. *Haldia Anchorage*

For the sixth year in succession, vessels importing foodgrains were worked at the Haldia Anchorage during the fair weather season from November 1964, to February 1965. In all 12 foodgrains vessels were worked at the anchorage during 1964-65. The deepest draft vessel to use the anchorage was the s.s. "Aramis" which drew 30' 7" aft. and 30' 5" for'd. The total quantity of foodgrains discharged at the anchorage was 57,613 tonnes.

8. *River Model Experiments*

All items of technical equipment ordered have been received and data are being collected on a systematic basis with the help of these instruments and the Research Vessel 'Anusandhani'.

The studies carried out on the Hooghly models in the Central Water & Power Research Station, Poona, for the improvement of Ninan, Nurpur, Eastern Cut and Moyapur bars were completed during the year, and considerable progress was made in regard to the experiments connected with the proposed crossings over the River Hooghly. Experiments for determining the alignment for the new oil jetty at Haldia were taken in hand and completed during the year. In addition, the following experiments were undertaken during the year :

(i) Selection of dumping ground for Auckland bar dredging with the help of the Estuarian dredger 'Mohana'.

(ii) Improvement of Upper Tidal Reach.

(iii) Type of works for protecting the bank from Munikhali to Fisherman's point.

9. *Labour*

The labour situation in the Port during the year continued to be satisfactory.

A Wage Board has been set up by Government to enquire into the wage structure of Class III and Class IV employees of the major ports in India. An *interim* relief of Rs. 7.80 P. per mensem for every eligible employee was announced by the Board affective from the 1st February 1965.

There was no noticeable congestion in the port at any time except for accumulation of cargo at heavy lift yards on account of delays in obtaining supply of special type railway wagons and in the submission of documents by the importers and their clearing agents. The warehouses in the Port were almost fully utilised.

10. *Hooghly Pilotage*

The income from pilotage during the year 1964-65 was Rs. 59.74 lakhs and the expenditure Rs. 49.72 lakhs, with a surplus of Rs. 10.02 lakhs.

11. *Port Development*

The expenditure during the year on Capital works in progress amounted to Rs. 642.40 lakhs.

Considerable progress was made during the year 1964-65 on the various Plan schemes. The construction of port craft, *viz.*, two 1400 tonne diesel hopper barges and two Pilot vessels, one 1100-tonne steam hopper barge and two single-screw survey launches, was completed during the year. Considerable progress was made during the year on the execution of the works for improving the dry dock facilities under the Five-Year Plan.

12. *Miscellaneous*

The new Hydraulic Study Department set up with the assistance of the World Bank undertook a number of investigations during the year.

13. *Acknowledgement*

The Port Commissioners carried out useful work for another year despite difficult conditions and Government view with appreciation the work of the Port Commissioners during the year under review.

K. C. MADAPPA, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 8th July 1966

No. 19(1)/66-*EL.II*.—The term of the Committee appointed in this Ministry's Resolution No. 19(1)/66-EL.II, dated the 10th May 1966, for suggesting principles and guide-lines for inter-State sale of power, is hereby extended up to 31st August 1966.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to the Members concerned, the State Governments, the State Electricity Boards, the Ministries and Departments of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President of India, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. P. MATHRANI, Secy.

MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 4th July 1966

SUBJECT :—*Constitution of Committee for the categorisation of posts in the Reading Branch of the Government of India Presses.*

No. 15/11/66/*PI*.—The Committee set up by the Government in November, 1963 for the categorisation of Government of India Press workers has submitted its recommendations in respect of various categories of industrial workers, excepting the staff employed in the Reading Branches of the Presses. This omission was due to the fact that a writ petition filed by some workers of the Reading Branches was pending in a Court of Law. The petition having been rejected, it has now been decided to set up another Committee to examine and make recommendations in respect of the categories in the Reading Branches. This Committee shall be called "The Committee for Categorisation of posts in the Reading Branches of the Government of India Presses".

2. The Committee will consist of the following :—

Chairman

Shri P. K. Sen, Deputy Secretary, Ministry of Works, Housing and Urban Development.

Members

1. Shri Manohar Keshav, Deputy Secretary, Ministry of Works, Housing and Urban Development.
2. Shri R. Ramaswamy, Project Officer, Office of the C.C.P.&S., New Delhi.
3. Shri G. S. Bhasin, Under Secretary, Ministry of Finance.

Shri N. C. Sanyal, Officer on Special Duty (Labour), Ministry of Works, Housing and Urban Development, will act as Secretary to the Committee.

3. *Terms of Reference* :

The terms of reference of the Committee will be :—

(i) to review and classify the posts in the Reading Branches in the Government of India Presses, under the control of the Chief Controller of Printing and Stationery, into "unskilled", "semi-skilled" "skilled", "highly-skilled" and "supervisory";

(ii) where necessary for the purpose of such review, to examine the service conditions, pay scales, duty hours and the field of recruitment/promotion laid down for each particular post and to suggest modifications therein.

4. The Committee will complete its work and submit its report to Government within four months from the date of its formation.

5. The Committee will be free to lay down the method of its working and other procedural matters.

6. The Chief Controller of Printing & Stationery and the Managers of the Government of India Presses will give their full cooperation to the Members of the Committee and assist them by furnishing all information required by them and making available to them official records and documents required.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

PREM KRISHEN, Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th July 1966

No. 11(8)/66-*RH.II.*—Shri B. P. Bagchi, Additional Secretary, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Rehabilitation, Government of India has been nominated, with immediate effect, as a Member of the Committee of Direction set up in terms of the Government of India, Ministry of Rehabilitation's Resolution No. 29(13)/64-RR/Rehab.II, dated the 25th November 1965, *vice* Shri L. J. Johnson, Additional Secretary, Department of Rehabilitation who has since been transferred.

V. NANJAPPA, Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

(i) All State Governments and all Chief Commissioners.

(ii) All Ministries of the Government of India, the Planning Commission, the Union Public Service Commission the Cabinet Secretariat, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, all Accountant Generals and Comptrollers, Chief Pay and Accounts Officer, Department of Supply and Technical Development, Pay and Accounts Officer, Ministries of Works and Housing and Rehabilitation, Railway Ministry (Railway Board), Director General of Supplies and Disposals,

(iii) All Members of the Committee.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. RAMDAS, Dy. Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966.